संख्या 221/XIV-1/2007

प्रेषक,

पी0के0महान्ति,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,
सहकारी समितियॉं,
उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग:-1 देहरादून दिनॉंक 23 नवम्बर, 2007

विषय:-उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0 को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम योजनान्तर्गत व्यवसाय वृद्धि हेतु अंशपूजी के रूप में वित्तीय सहायता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2098/नियो0/उ0रा0स0सं0/2007-08 दिनांक 07.09.2007 एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली के पत्र संख्या NCDC-5-2/2004-M(72) दिनांक 12.7.2006 एवं पत्र संख्या NCDC-5-2/2004-M (48) दिनांक 25.8.2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0 को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम योजनान्तर्गत व्यवसाय वृद्धि हेतु वित्तीय सहायता के रूप में रू0 200.00 लाख (दो करोड़ रूपये मात्र) अनुदान एवं रू0 800.00 लाख (आठ करोड़ रूपये मात्र) अंशधन अर्थात कुल रू0 1000.00 लाख (दस करोड़ रूपये मात्र) की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त धनराशि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के पत्र दिनांक 12.7.2006 एवं 25.8.2006 में उल्लिखित मदों/शर्तों के अधीन व्यय की जायेगी। उक्त वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों के भी अधीन है।

1. उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ को राज्य सरकार द्वारा अब तक दिये गये/ दिये जाने वाले अंशधन पर स्वीकृति के 2 वर्ष पश्चात उसकी वापसी संघ द्वारा 8 समान वार्षिक किश्तों में किया जाना होगा और अंशधन की वापसी का उत्तरदायित्व निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड का होगा।

2. निबन्धक का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह स्वीकृत अंशपूजी के वित्तीय / भौतिक प्रगति से शासन को समय समय पर अवगत करायेंगे।

3. शासकीय सहायता/अंशपूजी की धनराशि को उन्ही प्रयोजन के लिये प्रयोग में लाया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गयी है। अवशेष धनराशि शीघ्र ही शासन को तुरन्त लौटाई जायेगी तथा किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयुक्त न होगी।

4. उक्त धनराशि संघ को देने के पूर्व निबन्धक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सहकारी संघ द्वारा दो वर्ष पूर्व तक प्राप्त सभी आडिट आपत्तियों का अनुपालन मुख्य लेखा परीक्षाधिकारी की पूर्ण संस्तुति के अनुसार किया जा चुका है और ऐसा कोई मद अवशेष नहीं है जिसको आडिट के अनुसार पूर्ण न किया गया हो, साथ ही उक्त धनराशि संघ की 31.3.2007 तक की बैलेन्सशीट प्राप्त करने एवं सम्यक परीक्षणोपरान्त निबन्धक के उत्तरदायित्व पर अवमुक्त की जायेगी।

5. उक्त अंशधन एवं पूर्व में स्वीकृत अंशपूंजियों की वापसी हेतु निबन्धक सहकारी समितियां द्वारा समय सारणी तैयार की जायेगी एवं वापसी की स्थिति से शासन को छः छः माह में अनिवार्य रूप से अवगत कराया जायेगा।

6. यह अंशपूंजी/ सहायता संघ को उसी दशा में अवमुक्त की जायेगी जबकि गतवर्षों में स्वीकृत वित्तीय सहायता/अंशपूंजी का पूर्णतया उपयोग किया जा चुका हो उक्त वित्तीय सहायता संघ को तभी प्रदान की जाय जबकि उसकी भौतिक स्थिति के सापेक्ष प्रगतियां सन्तोषजनक रही हो।

7. राजकीय अंशपूंजी विनियोजन समता के आधार पर किया जाय एवं यदि संघ तुरन्त ऐसी स्थिति में नहीं है तो विशेष दशा के रूप में उक्त संघ को शासन द्वारा प्रदत्त अंशपूंजी के बराबर अपने अन्य सदस्यों द्वारा प्रदत्त अंशपूंजी दो वर्ष की अवधि में एक कर लेना अनिवार्य होगा। यदि वे ऐसा करने में असमर्थ होते हैं तो यह आवश्यक होगा कि वे उतनी धनराशि स्थानीय कोषागार में 31.3.2008 तक जमा कर दें अन्यथा दिनांक 1.4.2008 से यह धनराशि ऋण के रूप में मान ली जायेगी और वर्तमान दरों पर ब्याज देना होगा यह सुनिश्चित करते हुये ही उक्त वित्तीय सहायता का उपयोग किया जायेगा।

8. उक्त अंशपूंजी/सहायता उसी दशा में अवमुक्त की जायेगी जबकि विगत वर्षों में स्वीकृत अंशपूंजी का पूर्णतया उपयोग करते हुये उनकी वापसी के सम्बन्ध में सुस्पष्ट प्रस्ताव/समय सारणी निबन्धक द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

9. संघ अपने कार्यकलापों से राज्य सरकार तथा निबन्धक सहकारी समितियां उत्तराखण्ड को पूर्ण रूप से सन्तुष्ट रखेगा। यदि वह ऐसा करने में असमर्थ रहता है तो राज्य सरकार को हस्तक्षेप करने का पूर्ण अधिकार होगा।

10. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की दशा में राज्य सरकार का यह अधिकार होगा कि वह संघ से समस्त धनराशि राजस्व बकाये के रूप में किसी भी उपयुक्त तरीके से जो सरकार सही समझे, वसूल करें।

11. प्रस्तर–1 के उप प्रस्तर 5 से 10 तक अंकित शर्तों पर पूर्व में सहकारी समितियों को दी गई अंशपूंजी की वापसी भी सुनिश्चित की जायेगी।

2. उक्त स्वीकृत धनराशि का लेखापरीक्षण मुख्य लेखापरीक्षाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा महालेखाकार उत्तराखण्ड द्वारा भी किया जा सकता है।

3. शासनादेश के प्रस्तर एक में निर्धारित शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि इस सम्बन्ध में कोई विचलन पाया जाता है तो सम्बन्धित वित्त नियन्त्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जाय।

4. उपर्युक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय व्ययक में सहकारिता विभाग के अनुदान संख्या–18 के अन्तर्गत निम्नलिखित लेखाशीर्षकों 2425–सहकारिता आयोजनागत, 800–अन्य व्यय, 04–एकीकृत सहकारी विकास परियोजना हेतु अनुदान (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित), 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता एवं 4425–सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय– आयोजनागत, 200– अन्य निवेश, 03– समितियों की अंशपूंजी में विनियोजन (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा) 30–निवेश/ऋण के नामे संलग्न विवरणानुसार डाला जायेगा।

5. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता की धनराशि में से अनुदान की धनराशि रू0 200.00 लाख (दो करोड़ रूपये मात्र) की प्राप्तियां लेखाशीर्षक 0425–सहकारिता एवं अंशपूंजी रू0 800.00 लाख (आठ करोड़

रुपये मात्र) की प्राप्तियां लेखाशीर्षक –30–लोक ऋण –6003– राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण –108– राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज के अन्तर्गत जमा किया जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशा0पत्र संख्या–234(NP)/XXVII–4/ 2007 दिनांक 23 नवम्बर, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(पी0के0महान्ति)
सचिव।

संख्या:-981/XIV–1/2007,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मन्त्री, सहकारिता, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, (एफ0आर0डी0सी0) उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, वित्त/ नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
7. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, 4– सीरी इन्सटीटयूशनल एरिया, हौज खास, नई दिल्ली को उनके पत्र दिनांक 7.12.2006 के सन्दर्भ में।
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी विपणन संघ लि0, देहरादून।
9. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, देहरादून।
10. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग/आय–व्यय अनुभाग/ नियोजन अनुभाग उत्तराखण्ड शासन।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
12. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनुसचिव।

शासनादेश संख्या 881 / XIV–1 / 2007 / दिनांक 27 नवम्बर, 2007 का संलग्नक

उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि0 को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम योजनान्तर्गत व्यवसाय वृद्धि हेतु अंशपूजी के रूप में वित्तीय सहायता सहकारिता विभाग के अनुदान संख्या- 18 के अन्तर्गत निम्नलिखित लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा।

लेखाशीर्षक	धनराशि लाख रूपये में
2425–सहकारिता आयोजनागत	
800–अन्य व्यय	
04–एकीकृत सहकारी विकास परियोजना हेतु अनुदान (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित)	
20–सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	200.00
4425–सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय– आयोजनागत	
200–अन्य निवेश	
03–समितियों की अंशपूंजी में विनियोजन (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा)	
30– निवेश / ऋण	800.00
योगः–	1000.00 (दस करोड़ रूपये मात्र)

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनुसचिव।